

कार्यालय थाना प्रभारी थाना हनुमना जिला मऊगंज (म.प्र.)

क्र./हनु/ 25

दिनांक- 06.03.25

प्रति


श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय

मऊगंज जिला मऊगंज(म.प्र.)

विषय- माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 676 के विन्दु (घ) के संबंध में जानकारी ।
महोदय

निवेदन है कि थाना हनुमना के चौकी पिपराही क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरदमन में दिनांक 24.01.23 को खदान में ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर निकलने में एक महिला अनिता सिंह गोंड पति विष्णु बहादुर सिंह गोंड उम्र 23 वर्ष नि. सरदमन थाना हनुमना की पत्थर लगने से आयी चोट के कारण मृत्यु हो गयी थी एवं एक लड़के सुरेन्द्र सिंह गोंड पिता बैकुण्ठ बहदुर सिंह गोंड उम्र करीब 07 वर्ष के दाहिने पैर में भी चोट आयी है । जिससे थाना हनुमना में मार्ग क्र. 03/23 धारा 174 जाफ़ी कायम कर जांच में लिया गया बाद मार्ग जांच अप.क्र. 50/23 धारा 304,34 भादवि का अपराध आरोपी रवि प्रकाश सिंह पिता योगेन्द्र सिंह उम्र 35 साल निवासी म.न. 2435, ब्लाक जी सैनिक कलोनी सेक्टर 49 फरीदाबाद हरियाणा हाल साईट मैनेजर/इन्वार्ज LSSC क्लेशर कंपनी ग्राम सरदमन थाना हनुमना जिला मऊगंज एवं ब्लास्टिंग मैन प्यारेलाल कोल पिता यज्ञसेन कोल उम्र 32 साल निवासी दामोदरगढ थाना मऊगंज जिला मऊगंज के विरुद्ध कायम किया गया था ।विवेचना के दौरान धारा 304, 34 को श्रीमान जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पत्र क्रमांक/जि.अभि.अधि./रीवा/163/2023 दिनांक 14/08/2023 के माध्यम से परिवर्तित कर 304ए,337 किया जा कर अभियोग पत्र क्र. 173/23 दिनांक 19/08/23 को तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 22.08.23 को प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 195/23 है। जो विचाराधीन न्यायालय है।

अस्तु चाही गयी जानकारी श्रीमान जी की ओर सादर प्रेषित है।


थाना प्रभारी 25

थाना हनुमना जिला मऊगंज (म.प्र.)
जिला मऊगंज (म.प्र.)


अवर सचिव
म. प्र. शासन
खनिज साधन विभाग